अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

बासनी द्वितीय चरण, जोधपुर – 342 005 (राजस्थान)
(भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय)
वेबसाईट: http://www.aiimsjodhpur.edu.in

विज्ञापन संख्या – प्रशासन/संस्थापन/04/05/2016/एम्स–जोधपुर दिनांक 07 मई 2016

विषय: – अभियांत्रिकी विभाग में निम्नलिखित पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर (राजस्थान) द्वारा अभियांत्रिकी विभाग में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाईन आवेदन आमत्रित किये जा रहे है।

क्र.सं.	पद का नाम	समूह	कुल पद*	आरक्षण			
				सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	ख	1	1	0	0	0
2	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	ख	4	3	1	0	0

नोट :–

1. *पदो का संख्या अनुमानित है इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संस्थान के नियमों के तहत किया जा सकता है।

पदों के लिए निर्धारित अहर्ता निम्नलिखित हैं:

क्रं. सं.	पद का नाम	वेतन	आयु सीमा	योग्यता/अनुभव
1	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	रू. 9,300–34,800 ग्रेड पे रू. 4600 के साथ	18–35 वर्ष	**योग्यता:–** **आवश्यक:–** 1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक। 2. इलेक्ट्रिकल प्रणाली की मरम्मत और रखरखाव का 5 वर्ष का अनुभव, अस्पताल माहौल में कार्य अनुभव को वरीयता। 3. कम्प्यूटर का उपयोग करने की क्षमता – आवेदन पत्र, स्प्रेडशीट और प्रस्तुति में अनुभव।
2	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	रू. 9,300–34,800 ग्रेड पे रू. 4200 के साथ	30 वर्ष	**आवश्यक:–** **शैक्षणिक योग्यता:–** 1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक। **वांछित:–** 1. इलेक्ट्रिकल प्रणाली की मरम्मत और रखरखाव का 2 वर्ष का अनुभव, अस्पताल माहौल में कार्य अनुभव को वरीयता। 2. कम्प्यूटर का उपयोग करने की क्षमता – आवेदन पत्र, स्प्रेडशीट और प्रस्तुति में अनुभव। **या** 4. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल प्रणाली की मरम्मत और रखरखाव का 5 वर्ष का अनुभव, अस्पताल माहौल में कार्य अनुभव को वरीयता। कम्प्यूटर का उपयोग करने की क्षमता – आवेदन पत्र, स्प्रेडशीट और प्रस्तुति में अनुभव।

सामान्य शर्ते

1. उपरोक्त पद हेतु देय भते जोधपुर में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के कर्मचारियों के समान होंगे।

2. वे सभी इच्छुक आवेदक जो वांछित पात्रता को पूर्ण करते है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन हेतु पंजीकरण एम्स जोधपुर की वेबसाईट http://www.aiimsjodhpur.edu.in पर उपलब्ध रहेगा। ऊपर वर्णित पदों के लिए उनकी संबंधित सूचना के साथ ऑनआलाईन आवेदन के लिए लिंक रोजगार समाचार में विज्ञापन के दिन शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञप्ति जारी होने के बाद तीस दिवस तक अर्थात 6 जून 2016, सायं 05:00 बजे तक होगी। कोई भी दस्तावेज या ऑनलाईन आवेदन की प्रति सीधे एम्स जोधपुर को नहीं भेजनी है। तथापि सभी आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन कि एक प्रतिलिपि अपने पास रिकार्ड रूप में रखें।

3. जो आवेदक, इस विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले है, वे अपनी पात्रता को जाँचलें तभी आवेदन करें। सभी पात्र अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन अंतिम दिन (रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिवस (30वें दिन)) सांय 05:00 बजे तक अर्थात 6 जून 2016, सायं 05:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तय समय के उपरांत प्राप्त आवेदन खारिज कर दिये जायेगें तथा इस संबध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर ले कि उनके फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाईन मोड में आवेदन के भरने के समय में पूर्वालोकन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। फोटो/हस्ताक्षर छवि वेबसाईट पर पूर्वालोकन में छोटे या दिखाई सही प्रदर्शित नहीं होने उक्त आवेदन एम्स के अनुसार निरस्त माना जायेगा अतः आवेदन से अनुरोध है कि अपना फोटो और हस्ताक्षर सही से अपलोड करें जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

5. अगर उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह ऑन लाईन मोड के माध्यम से अलग अलग पद के लिए अलग प्रपत्र भरना होगा।

6. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर ले कि उनके फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाईन मोड में आवेदन के भरने के समय में पूर्वालोकन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। फोटो/हस्ताक्षर छवि वेबसाईट पर पूर्वालोकन में छोटे या दिखाई सही प्रदर्शित नहीं होने उक्त आवेदन एम्स के अनुसार निरस्त माना जायेगा अतः आवेदन से अनुरोध है कि अपना फोटो और हस्ताक्षर सही से अपलोड करें जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

7. **आवेदन शुल्क:** रू 500/– (पाँच सौ रूपये मात्र)

1) आवेदक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के केवल ऑनलाईन मोड के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकता है लेनदेन/प्रोसेसिंग शुल्क यदि कोई लागू हो तो वो उम्मीदवार द्वारा बैंक को देय होगा।
2) आवेदन शुल्क एक बार प्रेषित होने के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा।
3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्य जन/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क लागू नहीं होगा।
4) वे आवेदन, जो निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त होंगे, उन पर पर विचार नहीं किया जाएगा और सीधे तौर पर खारिज कर दिये जाऐंगें।

8. **राष्ट्रीयता/नागरिकता**

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, सयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगनिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

नोट :–

(i) बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

9. आयु सीमा में छूटः–

1) ऊपरी आयु सीमा की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से निर्धारित की जाएगी।
2) अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।
3) आयु पात्रता के निर्धारण के लिए एम्स जोधपुर द्वारा केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।
4) सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा गणना की तिथि (06.06.2016) को आयु में छूट विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमति निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	श्रेणि	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
1	अनुसूचित जाति/जनजाति	05 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
3	शारीरिक रूप में विकलांग	10 वर्ष
4	शारीरिक रूप से विकलांग + अन्य पिछड़ा वर्ग	13 वर्ष
5	शारीरिक रूप से विकलांग + अनुसूचित जाति/जनजाति	15 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक और कमीशन अधिकारी सहित ECOs/SSCOs	**(क)** पाँच वर्ष, इस शर्त के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र सेना में निरंतर दि गई सेवा सत्यापन के बाद 6 माह से कम नही होगी। इस छुट के लिए ECOs/SSCOs भी पात्र है जिन्होने सैन्य सेवा के प्रारम्भिक पाँच साल पुर्ण कर लिए है या जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पाँच साल के लिए बढा दिया गया हो और इसके अधीन रक्षा मंत्रालय द्वारा साक्ष्य/प्रमाण जारी किया गया हो की चयन के नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख के उपरान्त उम्मीदवार को 3 महीनो के भीतर कार्य मुक्त कर दिया जायेगा। जो उम्मीदवार उपरोक्त अनुछेद के अन्तर्गत आयु सीमा में छुट चाहते है उन्हे निर्धारित प्रारूप में संस्थान के समक्ष साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। **<u>नोटः–</u>** पूर्व सैनिक जिन्होने पहले से ही केन्द्र सरकार के तहत नियमित रोजगार सुरक्षित कर रखा है उन्हे उच्च पद पर या किसी और पद पर केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रोजगार सुरक्षित करने के लिए आयुसीमा में छुट के पात्र होंगे। हालांकी इस तरह के उम्मीदवादों को जो की भूतपूर्व सैनिक है उनको केन्द्र सरकार के अन्तर्गत निकली नौकरी में आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। **(ख)** उपयुक्त छुट के अन्तर्गत उपरोक्त सम्बन्धित उम्मीदवारों को रक्षा बलो द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की उन्हे रक्षा बलो द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया है। पूर्व सैनिक एवं कमीशंड आफिसर्स एवं ECOs/SSCOs का प्रमाण पत्र नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त अधिकारीयों द्वारा जारी किया होना चाहिए तथा रक्षा बलो में सेवा की अवधि को निर्दिष्ट किया होना चाहिए। **I. कमीशंड आफिसर्स एवं ECOs/SSCOs की स्थिति में:** ***थल सेनाः*** निदेशालय कार्मिक सेवा विभाग, थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। ***जल सेनाः*** निदेशालय कार्मिक सेवा विभाग, जल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। ***वायु सेनाः*** निदेशालय कार्मिक सेवा विभाग, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। **II. JCOs/ORs एवं जल सेना एवं वायु सेना में समकक्ष की स्थिति में:** ***थल सेनाः*** विभिन्न रेजिमेंट रिकोर्ड अधिकारीयों द्वारा। ***जल सेनाः*** जल सेना रिकोर्ड, मुम्बई।

		वायु सेनाः वायु सेना रिकोर्ड, नई दिल्ली।	
7	केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों–ग्रुप ए और बी के पदों के लिएः		
	1) केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों (सामान्य/अनारक्षित), जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष या अधिक नियमित रूप से और निरंतर सेवा प्रदान की हो।		5 वर्ष
	2) केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों (ओबीसी), जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष या अधिक नियमित रूप से और निरंतर सेवा प्रदान की हो।		8 (5+3) वर्ष
	3) केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों (एससी/एसटी), जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष या अधिक नियमित रूप से और निरंतर सेवा प्रदान की हो।		10 (5+5) वर्ष

नोट – I: ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि वे नियमानुसार आयु सीमा में छूट के लिए पात्र है।

नोट – II: **सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की ''काल अप सर्विस'' की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।**

नोट – III: आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण से से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्रधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

स्पष्टीकरणः भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से

(अ) (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग – अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी; अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1988 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता; अथवा

(vi) भर्त्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई हैं।

नोट - IV: भूपूसै के पुत्र–पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है।

(ब) उम्मीदवार जो किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन करते रहे हैं, को साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए एक निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा। सामुदायिक स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।

(स) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की पात्रता पर सरकार की केन्द्रीय सूची में वहन जाति आधारित होगा। भारती की अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर का सदस्य नहीं होना चाहिए। उनके उप–जाति केन्द्रीय ओबीसी की सूची में प्रविष्टियों के साथ मेल खाना चाहिए, ऐसा न उनकी उम्मीदवारी लागू किया आरक्षित श्रेणी से किसी के अधीन नहीं माना जाएगा और उर के रूप में माना जाएगा।

(द) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी किया जाना चाहिए।

10. आवेदको को पहले से ही सरकारी सेवा में संस्थान शामिल होने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से राहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने/अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा,** जब इन प्रमाणपत्रों की संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **परीक्षा के पश्चात् कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाएं। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै** स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी उम्यर्थिता/आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों का प्रारूप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपिव अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर प्रस्थिति का प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में 15.03.2013 और 09.09.2016 तक के बीच में जारी किए गए हो ही स्वीकार किए जाएगा। **अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/शावि दर्जे का दावा करते हैं तो एम्स जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित कर दिया जाएगा।**

चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा। **एक आँख वाले** और आंशिक रूप से दृष्टिहीन **अभ्यर्थी** जो आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी **प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे।** ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की** दृश्टि विकलांगता वाले **दृष्टि विकलांग (दृ.वि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमसितष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में एम्स जोधपुर द्वारा मुहैया किए जाने वाले **प्रलिपिक** की सहायता का लाभ उठा सकते है बशर्ते कि आवेदन पत्र में अनुरोध किया गया हो। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.वि. अभ्यर्थियों के समतुल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। **ब्रेल में** प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक नहीं दिए जाएंगे।

दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना **टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट** ला सकते है। परीक्षा परिसर के अन्दर दृ. वि./प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी **परिचर** को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. अतिरिक्त समय का प्रावधानः

दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसका ब्योरा ''संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016 की रूपरेखा'' शीर्षक के पैरा 9 के अंतर्गत दिया गया है

13. आवश्यक शैक्षिक योग्यता।

भारत के राजपत्र के दिनांक 10.06.2015 के अंक में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोशित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सहित प्रदान किए गए डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्तें, उनका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

14. दस्तावेज सत्यापनः

सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। जो अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेगा अंतिम चयन हेतु उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल रूप में जमा करें। पदों से संबंधित विकल्प दस्तावेज सत्यापन के समय नहीं लिया जायेगा। आवेदन पत्र में दिए गये विकल्प अंतिम होंगे।

15. लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कैल्क्यूलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा बेतार संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी और उसे तीन वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए एम्स जोधपुर की परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

16. चयन का तरीकाः

I. अजा, अजजा, अपिव और शा.वि. के अभ्यर्थी सहित जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा, अपिव और शा.वि. अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट दी गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। अतिरिक्त रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और शा.वि श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारिक्षत श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए हों।

II. शारीरिक रूप से विकलांग (अवि/श्रवि/दृवि) व्यक्ति, जो सामान्य मानकों के अंतर्गत एम्स जोधपुर की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के विकलांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।

III. किसी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग (अ.वि./श्र.वि./दृ.वि.) श्रेणी के अभ्यर्थी को आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता।

IV. जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात् इस बाद से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

V. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्तें वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो एम्स जोधपुर द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी

17. दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें कोई हेर – फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रसतुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। यदि ओएमआर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना एम्स जोधपुर की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सीधे तौर पर निरस्त कर दी जाएगीः

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो।

(ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।

(iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर।

(iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो।

(v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया हो।

(vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर – फेर किया गया हो।

(vii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो।

(ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा एम्स जोधपुर के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यव्यवहार किया हो।

(x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर – पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो।

(xi) परीक्षा के संचालन के लिए एम्स जोधपुर द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(xii) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करते हुए परीक्षा के लिए अपात्र होना।

(xiii) पात्रता भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी आधार पर जिसे एम्स जोधपुर अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है।

18. एम्स जोधपुर का निर्णय अंतिमः

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में एम्स जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/ पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

19. जो लोग पहले से किसी सेवा में उन्हें लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. आवेदन फार्म भरने सम्बन्धित दिशा–निर्देशः– एम्स जोधपुर की अधिकारिक वेबसाईट अर्थात http://www.aiimsjodhpur.edu.in पर उपलब्ध सहायक पुस्तिका (Help Manual) देखें।

अभ्यर्थियों की लिये अन्य सूचना

1. परिवीक्षा कालः परिवीक्षा काल की समय अवधि 2 वर्ष होगी।
2. अनुभव की अवधि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद की ली जायेगी।
3. कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा जोधपुर में आयोजित की जाएगी। यद्यपि एम्स जोधपुर किसी ओर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित करवाने का अधिकार रखता है।
4. एम्स जोधपुर के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। एम्स जोधपुर को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।
5. आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए, पात्रता, श्रेणी इत्यादि की संवीक्षा (छानबीन) परीक्षा के समय नहीं की जाएगी। इसलिए आवेदन केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व और किसी विशेष पद के लिए अपनी वरीयता दर्शाने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुश्टि कर लें कि वे पात्र हैं। समर्थक दस्तावेजों की प्रतियां केवल परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन के समय ही मांगी जाएंगी। यदि परीक्षा के बाद एम्स जोधपुर द्वारा संवीक्षा (छानबीन) करने पर यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं हैं, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में एम्स जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा।
6. **अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञप्ति में उल्लेखित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जो एम्स जोधपुर की वेबसाइटः http://www.aiimsjodhpur.edu.in पर भी उपलब्ध है।**
7. **अजा/अजजा/अपिव/शा.वि./भूपूसै के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करन इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास आवेदन के समय इस विज्ञप्ति में दिए अनुसार अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए। अपिव** अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि के भीतर जारी किया गया वैध अपिव प्रमाणपत्र हो।
8. केवल 40 प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दृष्टि विकलांग माना जाएगा और वे **दृवि** अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे, जहाँ कहीं भी यह आरक्षण उपलब्ध है।
9. आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को **कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय** अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्श की लगातार सेवा अवधि** के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय त कवे केन्द्र सरकार सिविल कर्मचारी होने चाहिए।
10. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 06.06.2016 सांयः 05:00 बजे तक होगी।
11. अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। **ऑनलाइन आवेदन के लिए बहुविध आवेदनों के मामले में अंतिम आवेदन जिसके लिए पंजीकरण पूरा कर लिए गया है स्वीकार किया जाएगा।**
12. **परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है। परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। उनके विरूद्ध एम्स जोधपुर द्वारा आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।**
13. **अभ्यर्थी http://www.aiimsjodhpur.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऐसे अभ्यर्थियों को एम्स जोधपुर के साथ पत्राचार करने के लिए उन्हें दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखना चाहिए। उन्हें एम्स जोधपुर में अपने आवेदन का प्रिंट आऊट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दिनांक समय से दिनांक समय तक उपलब्ध होगी।**

14. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में **अपनी पहचान** का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय /कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पेन कार्ड को मूल रूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. प्रमाणपत्रों/अनुबंधों की फॉर्मेट के लिए कृप्या हमारी वेबसाइट http://www.aiimsjodhpur.edu.in देखें।
16. पोस्ट पूरे समय अवधि की है निजी प्रैक्टिस निषिद्व है।
17. उम्मीदवार को पारी में काम करना होगा और संस्थान में किसी भी स्थान पर पोस्ट किया जा सकता।
18. उम्मीदवार संस्थान के साथ जुड़े ग्रामीण और शहरी केन्द्रो पर भी तैनात किया जा सकता है। काल अवधि संस्थान के द्ववारा निर्धारित की जाएगी।
19. रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्वि करने का अधिकार है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पास होगा।
20. अपूर्ण आवेदन पर विचार नही किया जाएगा।
21. किसी भी प्रकार का प्रचार अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
22. अभ्यर्थियों न्यायालय के द्ववारा दोषी नहीं होना चाहिए।
23. अगर उम्मीदवार द्वारा घोषणा या दी गई सूचना को गलत पाया गया या उम्मीदवार ने नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना को छुपाया तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा तथा नियुक्त समिति द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।
24. सक्षम प्राधिकारी कोई कारण बताए या सूचना देने के बिना विज्ञापन में किसी भी संशोधन, रदद्व करने और पूरे के रूप में या हिस्से में इस विज्ञापन में परिर्वतन का अधिकार सुरक्षित रखता है।
25. परीक्षाओं के संचालन, साक्षात्कार, दस्तावेजों के सत्यापन तथा चयन के संबंध में सक्षम अधिकारी का फैसला अंतिम होगा तथा सभी उम्मीदवारों पर बाध्य होगा। इस संबंध में कोई प्रतिनिधि पत्राचार पर विचार नही किया जाएगा।
26. सभी विवादों का निस्तारण का अधिकार क्षेत्र जोधपुर न्यायालय के अधीन किया जाएगा।

21. स्पष्टीकरण एवं पूछताछः

Mail to: recruitment2@aiimsjodhpur.edu.in
दूरभाष न. 0291 – 2740741 (केवल ऑनलाइन आवेदन फार्म संबंधित जानकारी के लिए)

प्रशासनिक अधिकारी
एम्स, जोधपुर